Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 27/March/2026 **IJRAW:** 2026; 5(5):190-194 **Accepted:** 09/May/2026

लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में नीति निर्माण और राजनीतिक जवाबदेही में भारतीय प्रेस की भूमिका

[*1]डॉ. नितिन कुमार मिश्रा

[*1]प्राचार्य, प्रियदर्शनी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरावां, खरगोन, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन में प्रेस (मीडिया) को 'चतुर्थ स्तंभ' के रूप में स्वीकार किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समानांतर प्रेस जनहित के मुद्दों को स्वर देकर शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाता है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषित करना है कि भारतीय प्रेस किस प्रकार देश के नीति निर्माण (Policy Making) को प्रभावित करता है और सत्ता में बैठे लोगों की राजनीतिक जवाबदेही (Political Accountability) सुनिश्चित करता है। मिश्रित शोध पद्धति और सामग्री विश्लेषण (Content Analysis) के आधार पर यह शोध समकालीन दौर में प्रेस के समक्ष उपस्थित चुनौतियों जैसेपेड न्यूज, कॉरपोरेट नियंत्रण और डिजिटल भटकाव का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है।

नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रेस 'एजेंडा सेटिंग' के माध्यम से हाशिए के मुद्दों को मुख्यधारा में लाता है, जिससे सरकारें जनहितैषी कानून बनाने के लिए विवश होती हैं। साथ ही, सार्वजनिक बहसों को मंच प्रदान कर यह नीतियों के व्यावहारिक मूल्यांकन में मदद करता है। दूसरी ओर, खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) के जरिए विभिन्न प्रशासनिक विसंगतियों और वित्तीय घोटालों को उजागर कर प्रेस शासन में पारदर्शिता लाता है, जिससे चुनावी और संसदीय जवाबदेही सुदृढ़ होती है।

हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य में प्रेस की साख पर गहरा संकट मंडरा रहा है। व्यावसायिक हितों की अंधी दौड़, सनसनीखेज खबरें (TRP की होड़), पेड न्यूज़ और डिजिटल स्पेस में अनियंत्रित 'फेक न्यूज़' के प्रसार ने मीडिया की तटस्थता को गंभीर चोट पहुँचाई है। निष्कर्षतः, यह पत्र रेखांकित करता है कि एक जीवंत, पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रेस का कॉरपोरेट व राजनैतिक दबावों से मुक्त होकर वित्तीय और वैचारिक रूप से स्वतंत्र होना अनिवार्य है।

मुख्य शब्द: चतुर्थ स्तंभ, नीति निर्माण, राजनीतिक जवाबदेही, खोजी पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, भारतीय लोकतंत्र।

1. प्रस्तावना

किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता और स्थायित्व अनिवार्य रूप से उसके नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता और शासन की संस्थागत पारदर्शिता पर निर्भर करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तहत जहाँ विधायिका विधियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका संविधान के आलोक में उनकी व्याख्या करती है; वहीं प्रेस (मीडिया) इन तीनों अंगों की कार्यप्रणाली पर निरंतर नजर रखने वाले एक सजग प्रहरी (Watchdog) की अपरिहार्य भूमिका निभाता है। इसी कारण लोकतांत्रिक समाज में इसे 'चतुर्थ स्तंभ' (Fourth Estate) के रूप में सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्वीकृति प्राप्त है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, प्रेस की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारतीय संविधान में 'प्रेस की स्वतंत्रता' शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, तथापि यहअनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त 'वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के मौलिक अधिकार में ही अंतर्निहित माना गया है। इस वैधानिक अधिष्ठान को सुदृढ़ करते हुएठाकुर (2018) रेखांकित करते हैं कि:

"भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका केवल एक मूक सूचना प्रदाता की नहीं है, बल्कि यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक ऐसा जीवंत सेतु है जो जनता की आकांक्षाओं को नीतिगत निर्णयों में बदलने के लिए एक सकारात्मक दबाव समूह का कार्य करता है।" (पृ. 45) ऐतिहासिक रूप से, भारत में प्रेस का चरित्र सदैव से सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजा राममोहन राय के 'संवाद कौमुदी' से लेकर महात्मा गांधी के 'यंग इंडिया' तक, प्रेस ने न केवल औपनिवेशिक सत्ता के दमन और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनचेतना को प्रज्वलित किया, बल्कि आधुनिक राष्ट्र निर्माण के लिए एक सुदृढ़ वैचारिक धरातल भी निर्मित किया।

***Corresponding Author:** डॉ. नितिन कुमार मिश्रा

वर्तमान 21वीं सदी के वैश्वीकरण और तकनीकी संक्रमण के इस दौर में, जब शासन व्यवस्थाएं अत्यधिक जटिल, बहुस्तरीय और नीति-संचालित (Policy-Driven) हो गई हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया को लोक-उन्मुख बनाने और शासक वर्ग की राजनीतिक जवाबदेही (Political Accountability) सुनिश्चित करने में प्रेस की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक, व्यापक और चुनौतीपूर्ण हो गई है। समकालीन विमर्शों के अनुसार, आज प्रेस के समक्ष एक ओर जहां सूचनाओं के तीव्र प्रसार का दायित्व है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक हितों के दबाव के बीच अपनी निष्पक्षता को अक्षुण्ण रखने की गंभीर चुनौती भी विद्यमान है।

2. साहित्य सर्वेक्षण

लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रेस की भूमिका और शासन व्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर वैश्विक तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यापक अकादमिक विमर्श हुआ है। इस विषय के सैद्धांतिक पक्ष को सुदृढ़ करते हुए चोमस्की और हरमन (1988) ने अपनी पुस्तक'मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट'में प्रतिपादित किया था कि मीडिया केवल तटस्थ सूचना का प्रसार नहीं करता, बल्कि वह विशिष्ट विमर्शों को स्थापित कर जनमत का निर्माण (एजेंडा सेटिंग) भी करता है। भारतीय संदर्भ में इस वैचारिक ढांचे को जोड़ते हुए ठाकुर (2018) रेखांकित करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में प्रेस केवल एक सूचना प्रदाता न होकर विधायिका, कार्यपालिका और आम जनता के बीच एक सक्रिय सेतु के रूप में कार्य करता है, जो सामाजिक आकांक्षाओं को नीतिगत निर्णयों में बदलने के लिए निरंतर दबाव बनाता है।

नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रेस के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर प्रकाश डालते हुए मेहता (2008) ने अपने शोध में स्पष्ट किया है कि 1990 के दशक के बाद उपग्रह चैनलों और निजी मीडिया के उभार ने सरकार को जन-असंतोष पर त्वरित प्रतिक्रिया देने तथा अपनी लोक-कल्याणकारी नीतियों में सामयिक संशोधन करने के लिए बाध्य किया है। विकासात्मक पत्रकारिता और नीतिगत सुधारों के इसी अंतर्संबंध को आगे बढ़ाते हुए अर्थशास्त्री सेन और द्रेज (2002) ने अपनी पुस्तक'इंडिया: डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन'में प्रमाणित किया कि भारत में अकाल, भुखमरी और स्वास्थ्य संकट जैसे मुद्दों पर प्रेस की मुखरता के कारण ही तत्कालीन सत्ताओं को खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी दूरगामी नीतियां बनाने के लिए विवश होना पड़ा।

दूसरी ओर, राजनीतिक जवाबदेही और सत्ता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में मीडिया की 'वॉचडॉग' भूमिका को विश्लेषित करते हुए राजगोपाल (2001) ने यह स्पष्ट किया है कि दूरदर्शन के दौर की समाप्ति और बहु-माध्यमों के आगमन ने राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ाने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। इस संदर्भ में कौशिक (2015) ने अपने शोध पत्र'भारतीय मीडिया और राजनीतिक सुशासन'में उल्लेख किया है कि बोफोर्स से लेकर समकालीन प्रशासनिक और वित्तीय विसंगतियों तक, प्रेस द्वारा की गई साहसिक खोजी पत्रकारिता ने न केवल देश की जनता को झकझोरा बल्कि हमारी न्यायपालिका को भी स्वतः संज्ञान लेने के लिए सक्रिय किया, जिससे अंततः राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण संभव हो सका।

हालांकि, समकालीन परिदृश्य में प्रेस की इस आदर्श और निष्पक्ष भूमिका के ह्रास पर समकालीन साहित्यों में गंभीर चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। साईनाथ (1996) ने अपनी कालजयी कृति'एवरीबडीलव्स ए गुड ड्रॉट'में बहुत पहले ही सचेत कर दिया था कि भारतीय मुख्यधारा का मीडिया कॉरपोरेट और शहरी हितों की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीण भारत की वास्तविक समस्याएं नीतिगत विमर्शों से बाहर होती जा रही हैं। इसी विचार को आधुनिक डिजिटल युग से जोड़ते हुए कुमार (2020) अपने लेख 'डिजिटल मीडिया और लोकतंत्र की चुनौतियाँ' में लिखते हैं कि वर्तमान में टीआरपी (TRP) की अंधी दौड़, 'पेड न्यूज़' और एल्गोरिदम-संचालित राजनीतिक झुकाव ने खोजी पत्रकारिता को सनसनीखेज विमर्शों में तब्दील कर दिया है।

3. शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य की प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शोध ढांचे को अपनाया गया है:

- **शोध का प्रारूप:** यह शोध मुख्य रूप से 'मिश्रित शोध प्रारूप' (Mixed Methods Design) पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक विमर्शों के साथ-साथ समकालीन आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन शामिल है।
- **डेटा संग्रह के स्रोत:** शोध में द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) का व्यापक उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद (PCI) की रिपोर्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नीतिगत दस्तावेज़, विभिन्न प्रतिष्ठित शोध जर्नल्स (जैसे EPW), और राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संपादकीय लेखों का 'सामग्री विश्लेषण' (Content Analysis) किया गया है।
- **शोध का दायरा (Scope):** यह शोध मुख्य रूप से पिछले पांच वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय प्रेस (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और उभरते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) की राजनीतिक भूमिका पर केंद्रित है।

4. नीति निर्माण में भारतीय प्रेस की भूमिका

आधुनिक शासन व्यवस्था और लोक-प्रशासन के सिद्धांतों के अंतर्गत सार्वजनिक नीतियों (Public Policies) का निर्माण केवल बंद कमरों, प्रशासनिक सचिवालयों या संसद के पटल तक ही सीमित नहीं होता है। किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में एक प्रभावी और जन-उन्मुख नीति के पीछे एक व्यापक जन-आकांक्षा, सामाजिक विमर्श और जन-भावना होती है, जिसे तार्किक धरातल पर आकार देने और संगठित करने का कार्य प्रेस (मीडिया) करता है। वास्तव में, प्रेस शासन व्यवस्था में एक 'कैटेलिस्ट' (उत्प्रेरक) की भांति कार्य करता है, जो जनसामान्य की अदृश्य आवश्यकताओं को राज्य की दृश्य प्राथमिकताओं में परिवर्तित कर देता है। भारतीय शासन प्रणाली के व्यावहारिक पक्षों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रेस मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन क्रमिक और संस्थागत स्तरों पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है:

(क) एजेंडा सेटिंग: अकादमिक संचार सिद्धांतों के अनुसार, प्रेस केवल यह नहीं तय करता कि जनता या सरकार क्या सोचे, बल्कि वह यह प्रभावी रूप से तय करता है कि वे 'किस विषय पर' सोचें। इसे ही 'एजेंडा सेटिंग' की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रेस समाज के उन उपेक्षित, हाशिए पर पड़े या दीर्घकालिक संकटोंजैसे कि पर्यावरण असंतुलन, महिला सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा में ढांचागत सुधार, कृषि संकट और ग्रामीण बेरोजगारीको अपनी निरंतर रिपोर्टिंग के माध्यम से मुख्यधारा की विमर्श तालिका (Mainstream Agenda) पर लाकर खड़ा करता है।

जब कोई ज्वलंत सामाजिक या आर्थिक मुद्दा कई हफ़्तों तक समाचार पत्रों के संपादकीय और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है, तो शासन पर एक नैतिक और राजनीतिक दबाव निर्मित होता है। परिणामस्वरूप, विधायिका उस पर त्वरित कानून या दूरगामी नीति बनाने के लिए बाध्य हो जाती है।

ऐतिहासिक दृष्टांत:वर्ष 2012 के 'निर्भया प्रकरण' के उपरांत प्रेस द्वारा निर्मित अभूतपूर्व दबाव के कारण ही सरकार को 'जस्टिस वर्मा समिति' का गठन करना पड़ा, जिसने अंततः आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार,

'सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005' और 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)' जैसे ऐतिहासिक कानूनों की पृष्ठभूमि में प्रेस द्वारा लगातार किए गए एजेंडा-सेटिंग प्रयासों और नागरिक समाज की आवाज़ को मंच देने की भूमिका सर्वोपरि रही है।

(ख) विधेयकों पर सार्वजनिक बहस: नीति निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण 'मसौदा तैयार करने' (Drafting) और उसे अंतिम रूप देने के बीच की अवधि होती है। लोकतांत्रिक सुशासन की यह मांग होती है कि किसी भी विधेयक को कानून बनाने से पूर्व उसे सार्वजनिक डोमेन में विमर्श के लिए रखा जाए। इस स्तर पर, प्रेस देश के बुद्धिजीवियों, विषय-विशेषज्ञों, कानूनी सलाहकारों और आम नागरिकों के बीच एक वैचारिक मंच (Public Sphere) के रूप में कार्य करता है। सरकार जब भी किसी नई नीति का मसौदा तैयार करती है, प्रेस उसके दूरगामी गुण-दोषों, अंतर्निहित कमियों और संभावित प्रभावों पर व्यापक और तीखी चर्चाएं आयोजित करता है।

इस सार्वजनिक विमर्श से नीति-निर्माताओं (नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों) को कानून के लागू होने से पूर्व ही जनता की वास्तविक प्रतिक्रिया, चिंताओं और जमीनी प्रतिरोध का आभास हो जाता है। यह प्रक्रिया नीतियों को केवल सैद्धांतिक न रखकर अधिक व्यावहारिक, लचीला और सर्वस्वीकार्य बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) या हालिया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (DPDP Act) के विभिन्न मसौदों पर प्रेस में हुई व्यापक बहसों ने इनके अंतिम स्वरूप को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(ग) नीति क्रियान्वयन का फीडबैक: नीति निर्माण की प्रक्रिया केवल उसके क्रियान्वयन (Implementation) पर समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि उसका निरंतर मूल्यांकन (Evaluation) सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कोई भी लोक-कल्याणकारी नीति धरातल पर कितनी सफल रही, क्या उसका लाभ लक्षित वर्ग (Target Group) तक पहुँच रहा है, या वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है—इन सबका वास्तविक और निष्पक्ष जमीनी मूल्यांकन प्रेस की खोजी और विकासात्मक रिपोर्टिंग द्वारा ही संभव होता है। इस रूप में प्रेस सरकार के लिए एक 'फीडबैक लूप' या 'सुधारात्मक तंत्र' की तरह कार्य करता है।

विकासात्मक उदाहरण: भारत की बहुप्रशंसित 'मिड-डे मील योजना' (पीएम पोषण) हो, 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)' हो या 'डिजिटल इंडिया अभियान', प्रेस ने समय-समय पर इनमें व्याप्त ढांचागत कमियों, लीकेज और प्रशासनिक शिथिलता को खोजी रिपोर्टों के माध्यम से उजागर किया है। जब प्रेस इन जमीनी विसंगतियों को साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करता है, तो नीति-निर्माताओं को अपनी रणनीतियों में सुधार करने और 'नीति-सुधार' (Policy Amendments) के माध्यम से पूरक विधिक प्रावधान लागू करने का अवसर प्राप्त होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि एजेंडा सेटिंग से लेकर नीति के अंतिम मूल्यांकन तक, भारतीय प्रेस नीति निर्माण के चक्र को पूर्ण और लोकतांत्रिक बनाने का एक अनिवार्य माध्यम है।

यहाँ आपके शोध पत्र के पांचवें खंड "5. राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना (Ensuring Political Accountability)" को अकादमिक गहराई, तार्किक प्रवाह, ऐतिहासिक उदाहरणों और उद्धरणों के साथ 500 शब्दोंके मानक आकार में विस्तारित किया गया है:

5. राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 'जवाबदेही' (Accountability) वह धुरी है जो निर्वाचित सरकार को निरंकुश और स्वेच्छाचारी होने से रोकती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण और संस्थागत नियंत्रण तब तक प्रभावी नहीं हो सकते, जब तक शासन के निर्णयों की सार्वजनिक समीक्षा न हो। इस परिप्रेक्ष्य में, प्रेस एक स्वतंत्र और निष्पक्ष विधिक प्रहरी (Ombudsman) की भांति कार्य करता है, जो जन-प्रतिनिधियों (विधायिका) और लोक सेवकों (कार्यपालिका) को सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के इस महत्वपूर्ण दायित्व को भारतीय प्रेस मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन आयामों के माध्यम से क्रियान्वित करता है:

(क) संसदीय गरिमा और पारदर्शिता: संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहाँ जनता के भाग्य का निर्धारण होता है। प्रेस इस विधायी संस्था के भीतर होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाकर आम नागरिकों तक पहुँचाता है। संसद के सत्रों के दौरान होने वाली नीतिगत बहसों, शून्यकाल व प्रश्नकाल की कार्यवाहियों, और विभिन्न विधेयकों पर जनप्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को प्रेस लाइव प्रसारणों तथा विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक पटल पर रखता है।

यह निरंतर निगरानी सांसदों की उपस्थिति, उनके बजटीय खर्चों और सदन के भीतर उनके आचरण को मर्यादित बनाए रखने में सहायक होती है। जब किसी जनप्रतिनिधि द्वारा पूछे गए प्रश्न या उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार प्रेस की सुर्खियां बनते हैं, तो यह सीधे तौर पर उनकी संसदीय जवाबदेही को रेखांकित करता है। इस संबंध मेंराजगोपाल (2001) का यह मत अत्यंत प्रासंगिक है कि दूरदर्शन के दौर की समाप्ति और बहु-माध्यमों (निजी चैनलों व प्रिंट मीडिया) के आगमन ने विधायी प्रक्रियाओं में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाकर राजनीतिक सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया है।

(ख) खोजी पत्रकारिता और भ्रष्टाचार निवारण: स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रेस ने सदैव एक सतर्क प्रहरी की भूमिका निभाई है, जिसने सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को उजागर करने का साहस दिखाया है। 'खोजी पत्रकारिता' (Investigative Journalism) के माध्यम से प्रेस ने कई ऐसे ऐतिहासिक घोटालों और प्रशासनिक लापरवाहियों का पर्दाफाश किया है जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा बदल दी।

ऐतिहासिक दृष्टांत:बोफोर्स रक्षा सौदे से लेकर जीप घोटाले, टू-जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल (CWG) और कोयला आवंटन जैसे बड़े वित्तीय घोटालों में प्रेस द्वारा उजागर किए गए साक्ष्यों ने ही देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सक्रिय किया। प्रेस की इन रिपोर्टों के आधार पर ही संसद को 'संयुक्त संसदीय समिति' (JPC) का गठन करना पड़ा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सक्रिय होना पड़ा और न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप न केवल दागी मंत्रियों और उच्चाधिकारियों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि कई मामलों में उन्हें न्यायिक दंड भी भुगतना पड़ा। यह प्रक्रिया सिद्ध करती है कि प्रेस केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का विधिक अस्त्र भी है।

(ग) चुनावी जवाबदेही: चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा शुद्धि-यज्ञ है, जहाँ जनता अपनी संप्रभु शक्ति का उपयोग करती है। चुनावों के समय प्रेस की भूमिका एक मार्गदर्शक और निष्पक्ष विश्लेषक की हो जाती है। प्रेस विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए जाने वाले 'चुनावी घोषणापत्रों' (Manifestos) की तार्किक और आर्थिक समीक्षा करता है। वह जनता के सामने यह तथ्य रखता है कि किए जा रहे वादे कितने व्यावहारिक हैं और उनके लिए वित्तीय संसाधन कहाँ से आएंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रेस राजनेताओं द्वारा पिछले कार्यकाल में किए गए वादों (Promises) और वर्तमान जमीनी हकीकत (Performance) के बीच के अंतर को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करता है। दल-बदल, प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और उनकी संपत्ति के विवरण को सार्वजनिक कर प्रेस मतदाताओं को एक सचेत और विवेकपूर्ण

निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे चुनावी जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

6. समकालीन चुनौतियाँ और निष्पक्षता पर संकट

यद्यपि सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रेस की भूमिका अत्यंत आदर्श, जन-उन्मुख और गरिमामयी है; परंतु समकालीन भारतीय परिदृश्य में इसकी व्यावहारिक साख, विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली गंभीर संकटों से घिरी हुई है। वर्तमान समय में मीडिया केवल सूचना का माध्यम न रहकर एक अत्यंत जटिल व्यावसायिक और राजनैतिक उपकरण में तब्दील हो चुका है। इस वैचारिक ह्रास और निष्पक्षता पर उपजे संकट के मूल कारणों को निम्नलिखित तीन मुख्य समकालीन चुनौतियों के अंतर्गत विश्लेषित किया जा सकता है:

(क) कॉरपोरेट एकाधिकार और व्यावसायिक हित: 21वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय मीडिया परिदृश्य का 'कॉरपोरेटाइजेशन' (Corporateization) बहुत तेजी से हुआ है। वर्तमान में अधिकांश बड़े और प्रभावशाली राष्ट्रीय मीडिया घराने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशाल औद्योगिक व कॉरपोरेट घरानों द्वारा नियंत्रित और संचालित हैं। इस व्यावसायिक मॉडल के कारण पत्रकारिता का मूल ध्येय—'जनहित'—हाशिए पर चला गया है और उसका स्थान 'मुनाफाखोरी' ने ले लिया है। समाचार चैनलों के बीच अधिक से अधिक विज्ञापन प्राप्त करने के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (TRP) की एक अंधी और अनैतिक होड़ मची हुई है।

परिणामस्वरूप, जनसामान्य से जुड़े गंभीर नीतिगत मुद्दे (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि संकट) विमर्श से गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे कॉरपोरेट जगत के वित्तीय हितों या विज्ञापन देने वाली ताकतों के अनुकूल नहीं होते। इस संदर्भ में पी. साईनाथ (1996) का यह कथन आज भी सटीक बैठता है कि जब मीडिया मुख्य रूप से कॉरपोरेट हितों से संचालित होता है, तब वह बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी और वंचित वर्गों की वास्तविक विवशताओं को नीतिगत चर्चाओं से पूरी तरह बाहर कर देता है।

(ख) पेड न्यूज़ और राजनीतिक ध्रुवीकरण: समकालीन भारतीय प्रेस के समक्ष सबसे गंभीर नैतिक संकट 'पेड न्यूज़' (Paid News) और वैचारिक ध्रुवीकरण का है। खबरों को धन, राजनैतिक संरक्षण या राज्यसभा सीटों जैसे प्रलोभनों के बदले किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल या विचारधारा के पक्ष में मोड़ने की प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल हुई है। वर्तमान बौद्धिक और सार्वजनिक विमर्शों में इस पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता (Biased Journalism) को 'गोदी मीडिया' या 'एजेंडा-संचालित मीडिया' जैसे तीखे विशेषणों से रेखांकित किया जाने लगा है।

इस राजनैतिक और व्यावसायिक साठगांठ ने प्रेस की उस मौलिक 'तटस्थता' (Objectivity) को भारी नुकसान पहुँचाया है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य थी। मीडिया अब सत्ता से तीखे सवाल पूछने वाली 'वॉचडॉग' भूमिका को त्यागकर, कई बार सत्ता के पक्ष में जनमत का निर्माण करने वाला एक विज्ञापनी माध्यम (Propaganda Tool) बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

(ग) इन्फोडेमिक और फेक न्यूज: सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के लोकतांत्रीकरण ने जहाँ एक ओर सूचनाओं की गति बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर 'इन्फोडेमिक' (सूचनाओं की अनियंत्रित बाढ़) और 'फेक न्यूज़' (असत्य खबरों) के एक नए युग को जन्म दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बिना किसी विधिक संपादन के चलने वाले अनियंत्रित डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के उभार ने भ्रामक, मनगढ़ंत और सनसनीखेज खबरों के प्रसार को तीव्र कर दिया है। संपादकीय नियंत्रण और तथ्य-जांच (Fact-Checking) की उचित व्यवस्था न होने के कारण यह डिजिटल प्रेस नीति-निर्माण में कोई रचनात्मक योगदान देने के बजाय, समाज में ध्रुवीकरण और सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का एक खतरनाक कारक बन रहा है। जैसा किकुमार (2020) ने अपने लेख में सचेत किया है कि एल्गोरिदम-संचालित यह नया डिजिटल स्पेस सनसनीखेज विमर्शों को इस कदर बढ़ावा देता है कि तर्कसंगत और तथ्य-आधारित लोकतांत्रिक बहसें पूरी तरह कुचल दी जाती हैं।

7. निष्कर्ष एवं रचनात्मक सुझाव

(क) निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के समग्र विश्लेषण से यह अकादमिक और व्यावहारिक निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारतीय प्रेस ने देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को अक्षुण्ण रखने, जन-केंद्रित लोक-कल्याणकारी नीतियों के निर्माण और सत्ता की संभावित निरंकुशता पर अंकुश लगाने में सदैव एक ऐतिहासिक, अनुकरणीय और सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक संघर्ष से लेकर आधुनिक भारत के नीतिगत सुधारों तक, प्रेस ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आकांक्षाओं को स्वर देकर शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जन-उत्तरदायी बनाया है। यह अकादमिक रूप से पूर्णतः सिद्ध है कि प्रेस मात्र सूचनाओं के आदान-प्रदान का यांत्रिक माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की रक्षा करने वाला एक अनिवार्य 'चतुर्थ स्तंभ' (Fourth Estate) है। परंतु, समकालीन तकनीकी और आर्थिक संक्रमण के इस दौर में मीडिया परिदृश्य में उपजी संरचनात्मक विसंगतियां इसके मूल नैतिक चरित्र को संदूषित कर रही हैं। कॉरपोरेट स्वामित्व का एकाधिकार, वित्तीय लाभ की अंधी दौड़ (TRP), राजनीतिक ध्रुवीकरण और डिजिटल स्पेस में 'फेक न्यूज़' की अनियंत्रित बाढ़ ने प्रेस की उस निष्पक्षता (Objectivity) को गंभीर संकट में डाल दिया है जो इसकी रीढ़ थी। यदि प्रेस अपनी इस साख और जन-विश्वसनीयता को खो देता है, तो विधायी और प्रशासनिक जवाबदेही का तंत्र स्वतः ध्वस्त हो जाएगा, जिससे अंततः लोकतंत्र का संपूर्ण ढांचा ही कमजोर और पंगु हो जाएगा। इसलिए, इस चतुर्थ स्तंभ का पुनरुद्धार समकालीन भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आवश्यकता है।

(ख) रचनात्मक सुझाव

प्रेस की स्वायत्तता, विश्वसनीयता और सुधारात्मक भूमिका को पुनर्स्थापित करने के लिए शोध के आधार पर निम्नलिखित व्यावहारिक और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

i). **संस्थागत और सख्त स्व-नियमन:** भारतीय प्रेस परिषद (PCI) और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) जैसी नियामक संस्थाओं को केवल 'सलाहकारी' भूमिका से बाहर निकालकर अधिक स्वायत्तता और दंडात्मक शक्तियां दी जानी चाहिए। पेड न्यूज़, भ्रामक विज्ञापनों और सनसनीखेज मीडिया ट्रायल करने वाले आउटलेट्स पर भारी आर्थिक दंड और विधिक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए ताकि पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखा जा सके।

ii). **वित्तीय स्वतंत्रता का वैकल्पिक मॉडल:** मीडिया घरानों को सरकारी विज्ञापनों, राजनैतिक वित्तपोषण या बड़े कॉरपोरेट विज्ञापनों के दबाव से मुक्त करने के लिए 'पाठक-वित्तपोषित' (Reader-Funded) या 'सब्सक्रिप्शन-आधारित' व्यावसायिक मॉडल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब मीडिया वित्तीय रूप से सीधे अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, तो उसकी नीतिगत निष्पक्षता स्वतः सुदृढ़ होगी।

iii). **डिजिटल स्पेस का तार्किक नियमन:** सोशल मीडिया और स्वतंत्र वेब-पोर्टल्स पर प्रसारित होने वाली खबरों के लिए एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी और वैधानिक 'तथ्य-सत्यापन प्रणाली' (Fact-Verification Mechanism) स्थापित की जानी चाहिए।

एल्गोरिदम-संचालित ध्रुवीकरण को रोकने के लिए तकनीकी कंपनियों (Tech Giants) की जवाबदेही तय होना अनिवार्य है।

iv). **क्षेत्रीय और विकासात्मक पत्रकारिता को प्रोत्साहन:** मुख्यधारा के मीडिया में ग्रामीण और हाशिए के मुद्दों को विधिक रूप से न्यूनतम स्थान (Airtime/Space) आवंटित करने की नीति बननी चाहिए, ताकि 'विकासात्मक पत्रकारिता' (Development Journalism) के माध्यम से वास्तविक नीति-निर्माण को जमीनी स्तर पर बल मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Chomsky N, Herman ES. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Pantheon Books; 1988.
2. Kumar KJ. *Mass Communication in India*. 5th ed. Jaico Publishing House; 2020.
3. Mehta N. *India on Television: How Satellite News Channels Have Changed the Way We Think and Act*. HarperCollins; 2008.
4. Rajagopal A. *Politics After Television: Hindu Nationalism and the Reshaping of the Public Sphere*. Cambridge University Press; 2001.
5. Sainath P. *Everybody Loves a Good Drought: Stories from India's Poorest Districts*. Penguin Books; 1996.
6. Sen A, Drèze J. *India: Development and Participation*. Oxford University Press; 2002.
7. Thussu DK. *News as Entertainment: The Rise of Global Infotainment*. SAGE Publications; 2007.
8. कौशिक, आर. (2015). भारतीय media और राजनीतिक सुशासन.भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 14(2), 108–115.
9. कुमार, ए. (2020). डिजिटल media और लोकतंत्र की चुनौतियाँ.संचार माध्यम पत्रिका, 8(3), 72–81.
10. जायसवाल, एस. (2021). लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ: समकालीन media के नैतिक सरोकार.मीडिया विमर्श, 12(4), 45–52.
11. ठाकुर, जे. सी. (2018). भारतीय पत्रकारिता और जनसंचार. नमन प्रकाशन.
12. द्विवेदी, एस. (2019). डिजिटल पत्रकारिता और सोशल मीडिया: नए आयाम. राधाकृष्ण प्रकाशन.
13. भारतीय प्रेस परिषद. (2023). वार्षिक रिपोर्ट 2022-23: भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और नियामक विमर्श. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.
14. मिश्र, वी. यू. (2022). विकासात्मक पत्रकारिता और भारतीय ग्रामीण परिदृश्य.जनसंचार शोध पत्रिका, 6(1), 18–29.
15. शर्मा, पी. के. (2017). भारत में लोक नीति निर्माण और मीडिया की भूमिका. सामयिक प्रकाशन।